




प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक-05.03.2023

थाना बडौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 174/23 धारा 302/34/201/120बी भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी एक बालअपचारी सहित अन्य 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, एक अवैध पौनिया बन्दूक 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा एक सैन्ट्रो कार व 03 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.02.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री सेठपाल पुत्र गुलजार निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-आदेश पुत्र महावीर निवासी ऊन जनपद शामली, 2-मोनू निवासी बिदाई के द्वारा उसके पुत्र सर्वेश की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 174/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 34/201/120बी भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तगण 1-नितेश उर्फ निक्कू, 2-सूरज पुत्र यशपाल 3-विक्की पुत्र रोहताश, 4-दिनेश पुत्र विक्रम, 5-सोनू पुत्र अयुब, 6-सागर कुमार पुत्र अनिल निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत तथा एक बालअपचारी

का नाम प्रकाश में आया तथा उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्तगण 1-आदेश पुत्र महावीर निवासी ऊन जनपद शामली, 2-मोनू निवासी बिदाई की नामजदगी गलत पायी गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 174/23 धारा 302/34/201/120बी भादवि का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये एक बालअपचारी सहित अन्य 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, एक अवैध पौनिया बन्दूक 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक सैन्ट्रो कार नं0 UP-17C-0021 तथा तीन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नितेश उर्फ निक्कू पुत्र सतपाल निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-सूरज पुत्र यशपाल निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-विक्की पुत्र रोहताश निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-दिनेश पुत्र विक्रम निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-सोनू पुत्र अय्युब निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-सागर कुमार पुत्र अनिल निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-एक बालअपचारी ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि लगभग तीन माह पूर्व मृतक छोटे उर्फ सर्वेश ने बालअपचारी के साथ उसकी मो0सा0 में लगे हॉर्न को तेज बजाने को लेकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की थी, जिसके कारण बालअपचारी ने अपने दोस्त नितेश उर्फ निक्की व सूरज के साथ मिलकर छोटे उर्फ सर्वेश को मारने की योजना बनाई । योजना के अनुसार दिनांक 28.02.2023 को निक्की की सैन्ट्रो गाड़ी नं0 UP-17C-0021 से सर्वेश के घर पहुंचे । हम सभी के पास अवैध हथियार थे । हमने सर्वेश को आवाज दी । सर्वेश के बाहर आने पर हमने उस पर गोली चला दी और गाड़ी में बैठकर भाग गये । मृतक सर्वेश की हत्या करने में

एक बालअपचारी सहित 1-नितेश उर्फ निक्कू, 2-सूरज पुत्र यशपाल, 4-दिनेश पुत्र विक्रम निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत सम्मिलित थे तथा अन्य 03 अभियुक्त 1-विक्की पुत्र रोहताश, 2-सोनू पुत्र अय्युब, 3-सागर कुमार पुत्र अनिल निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत साक्ष्य छुपाने में सम्मिलित थे ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- घटना में प्रयुक्त एक अवैध पौनिया बंदूक 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
- घटना में प्रयुक्त एक सैन्ट्रो कार नं0 UP-17C-0021
- घटना में प्रयुक्त तीन मोबाईल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री चन्द्रकान्त यादव थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री रविन्द्र पहलावत प्रभारी SOG जनपद बागपत ।
- 3-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 468 कुलदीप देशवाल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6-का0 402 विशाल पूनिया थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 7-का0 403 नितिन त्यागी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8-का0 135 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 447 अरुण कुमार SOG टीम जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 434 दीपक कुमार SOG टीम जनपद बागपत ।
- 11-है0का0 298 सतीश कुमार SOG टीम जनपद बागपत ।
- 12-का0 375 मोनू शर्मा SOG टीम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक नैनो कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आबकारी व थाना बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया



गया है, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक नैनो कार नं0 DL-6CM-3619 व 01 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सुजीत कुमार चौहान पुत्र खरवान चौहान निवासी दक्षिणपुरी डा0 अम्बेडकर नगर पुष्प भवन दिल्ली ।

2-अनिल कुमार पुत्र मेहन्दीलाल निवासी वसन्त विहार कुसुमपुर पहाडी साउथवेस दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- 1 पेटी अवैध अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक नैनो कार नं0 DL-6CM-3619

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-शंकरपाल सिंह आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 4 मेरठ मय टीम ।
- 2- श्री अजय कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -1 बागपत मय टीम ।
- 3-एचसी 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पच्चा अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवीण कुमार पुत्र प्रीतम निवासी करुबा टटीरी थाना कोतवाली बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पच्चा अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 487 नरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 333 नीतेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक- 05-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 106/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06/02/2023 को थाना कोतवाली बागपत पर श्री होविन्द्र प्रकाश वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1-इन्तजार पुत्र नानत, 2- हबीबुर्हमान पुत्र रहमान निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा बागपत व अन्य 27 अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी, कुटरचना एव आपसी सांठगांठ करके कब्रिस्तान व जमींदारी क्षेत्र



की भूमि पर कब्जा/बैनामा कर प्लाट काटकर मकान बनवा लिए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 106/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 106/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-इन्तजार पुत्र नानत निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-हबीबुर्रहमान पुत्र रहमान निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-है०का० मन्जीत सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3-का० 169 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 05.03.2023

थाना छपरौली पुलिसने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 पच्चे देशी शराब अरुणांचल प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पच्चे देशी शराब अरुणांचल प्रदेश मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

परमेश पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पच्चे देशी शराब अरुणांचल प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली ।

2-का0 953 अंकुल कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 05.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने एक जिलाबदर/ हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर/ हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट:- अभियुक्त जाकिर थाना रमाला का एच.एस. 900ए है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जाकिर पुत्र इसराईल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर का अपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 122/16 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 123/16 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 125/16 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 142/16 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 406/16 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 08/18 धारा 394/302/34 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 22/18 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 453/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
- 9-मु0अ0सं0 271/22 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0 272/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 278/22 धारा 3/10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 280/22 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
- 13-मु0अ0सं0 47/23 धारा 3/10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना रमाला ।
- 2-का0 23 अजयपाल थाना रमाला ।
- 3-का0 557 राहुल सिंह थाना रमाला ।
- 4-का0 566 इन्द्राज सिंह थाना रमाला ।